राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
श्रम विभाग
5–शाम नाथ मार्ग दिल्ली –110054

1. परिणामस्वरूप एसएलपी संख्या 256185– 26228/2018 में जीएनसीटी दिल्ली बनाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजन ढल चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य आदि के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि श्रम विभाग श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का नये सिरे से पुनः निर्धारण करे ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2018 के अनुपालन में श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के नियम 5)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत एक चार सदस्यीय मूल्य संग्रह समिति का दिनांक 06.11.2018 को गठन किया , जिसमें संयुक्त श्रम आयुक्त– श्री लल्लन सिंह, सहायक श्रम आयुक्त – श्री अमरदीप, श्रम अधिकारी – श्री शशि भूषण और निरीक्षण अधिकारी – श्री मनीष कुमार ठाकुर सदस्य थे, जिसका विवरण श्रम विभाग की वेब साईट www.labour.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

3. इस समिति ने दिनांक 10.11.2018 को केन्द्रिय भंडार से विभिन्न खाद्य पदार्थों, (जिसका निर्धारण राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा किया गया है) के मूल्य केन्द्रीय भंडार (नीति आयोग आउटलेट), सफल आउटलेट (काली बाड़ी मार्ग) और मदर डेयरी (बाबा खड़ग सिंह आउटलेट) का मूल्य प्राप्त किया । उक्त समिति ने खादी ग्रामोद्योग (कनाट प्लेस आउटलेट) से कपड़ों के मूल्यों को भी एकत्रित किया।

4. खादय पदार्थों और कपडों के औसत मूल्यों और अन्य मदों जैसे आवास, बिजली और ईंधन और शिक्षा और सामाजिक खर्चे इत्यादि के निर्धारित प्रतिशत जो 1957 में आयोजित 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) द्वारा निर्धारित किया गया है और जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेपटाकौस और ब्रेटा के निर्णय (1991) में सही ठहराया गया है, का आधार लेते हुए कामगारों की विभिन्न श्रेणियों, सुपरवाईजरी और लिपकीय स्टाफ के लिए प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों को दिल्ली में सभी अनुसूचित नियोजनों के संदर्भ में निकाला गया है, जो निम्नवत है ।

प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना केन्द्रीय भंडार और खादी ग्रामोद्योग से दिनांक 10.11.2018 को प्राप्त की गयी दरें और अन्य मदों जैसे आवास, इंधन और शिक्षा की, गणना पर आधारित है, जो कि निम्नवत है :–

परिवार के तीन इकाइयों (चार सदस्य) वाले परिवार के लिए खाने की लागत, प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी :

खाद्य पदार्थ – रुपये 2912.10 प्रति माह X 3= रु. 8736/– प्रति माह

अकुशल श्रेणी के लिए प्रस्तावित मजदूरी

1. खाद्य पदार्थ –परिवार के तीन इकाइयों (चार सदस्य) वाले परिवार – सुप्रीम कोर्ट जजमेंट/आई एल सी –1957 – रुपये 8736 /– प्रति माह
2. कपड़े (72 यार्ड प्रतिवर्ष = 66 मीटर वार्षिक)– रुपये 626 प्रति माह
3. आवास (10 प्रतिशत खाद्य पदार्थ का / रियायती आवासीय योजना–आई एल सी–1957) – रुपये 874 / प्रति माह
4. ईंधन (20 प्रतिशत – खाद्य पदार्थ + कपड़ा + आवास –आई एल सी–1957) – रुपये 2047 प्रति माह
5. शिक्षा (25 प्रतिशत –खाद्य पदार्थ + कपड़ा + आवास)– सुप्रीम कोर्ट– रुपये 2559 रुपये प्रति माह

योग रुपये 14,842/– प्रति माह

1. प्रस्तावित न्यूनतम वेतन अकुशल श्रमिक के लिए –रू 14,842/– प्रतिमाह,
2. प्रस्तावित न्यूनतम वेतन अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए– रू 16,341/– प्रतिमाह,(अकुशल मजदूरी का 10.1 प्रतिशत अतिरिक्त)
3. प्रस्तावित न्यूनतम वेतन कुशल श्रमिक के लिए – रू 17,991/– प्रतिमाह, (अर्द्धकुशल मजदूरी का 10.1 प्रतिशत अतिरिक्त)
4. प्रस्तावित न्यूनतम वेतन गैर मैट्रिकुलेट के लिए – रू 16,341/– प्रतिमाह, (अर्द्धकुशल श्रेणी के समान)
5. प्रस्तावित न्यूनतम वेतन मैट्रिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं, श्रमिक के लिए – रू 17,991/– प्रतिमाह, (कुशल श्रेणी के समान)
6. प्रस्तावित न्यूनतम वेतन स्नातक श्रमिक एवं उससे उपर श्रमिक के लिए – रू 19,572/– प्रतिमाह, (कुशल मजदूरी का 8.79 प्रतिशत अतिरिक्त)

5. श्रम विभाग, दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत दिये गये प्रक्रिया को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2018 के अनुसार स्वीकार किया है, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया दुबारा नये सिरे से करने के लिए चुनाव का अधिकार विभाग को दिया हुआ है ।

6. उपरोक्त प्रस्तावित न्यूनतम वेतन की दरों को, इनके विषय में सभी हितधारकों के सुझाव, विचार, इनपुट और टिप्पणी के लिए, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की वेवसाईट www.labour.delhigovt.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है । न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के नियम 5(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए समाज के विभिन्न अंगों जैसे श्रमिक, श्रमिक यूनियन, व्यापार संघों, बाजार संघों, व्यापार मंडलों, एन.जी.ओ. और बुद्धिजीवियों के सुझाव, विचार, इनपुट और टिप्पणी आवश्यक है। ये सुझाव, विचार, इनपुट और टिप्पणी ई–मेल आई.डी– addlc.mw@delhi.gov.in पर मेल द्वारा या लिखित रूप में निम्न पते पर भेजा जा सकता है–

डा. राजेन्द्र धर, अतिरिक्त श्रम आयुक्त,
श्रम विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार,
5– शामनाथ मार्ग, दिल्ली– 110054

7. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के नियम 5(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वेतन के निर्धारण संबंधी सुझाव, विचार, इनपुट और टिप्पणी दो महीने (60 दिन) अर्थात 12.11.2018 से 11.01.2019 तक भेजे जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त सुझाव, विचार, इनपुट और टिप्पणी पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. प्राप्त सुझाव, विचार, इनपुट और टिप्पणी को दिल्ली न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के समझ प्रस्तुत किया जाएगा । इस बोर्ड का गठन न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 7, के अन्तर्गत किया जायेगा और जो कि प्राप्त किये गये सुझावों इत्यादि के आधार पर सरकार को अपनी सिफारिशें विभिन्न श्रेणियों के कामगारों, सुपरवाइजरी और लिपिकीय कर्मचारी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित / पुनः निर्धारण के संबंध में प्रेषित करेगा ।